न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 69 / 2023

उनवान

[redacted]

1–4 खाना उर्फ काना, लादू, नीमा उर्फ जीवा, जमना पिता नन्दा जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– गोपी पिता सुखा जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
2– धर्मा पिता भोना जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
3– भूतर पिता भैरू जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
4– मोहन पिता भैरू चमार निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
5–6 सत्यनारायण, पप्पू पिता भोलू जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
7– भैरू पिता कजोड़ जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
8– लादू पिता रघुनाथ जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
9– लादू पिता देबी जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
10– महेन्द्र पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
11– गोपाल पिता रूपा जाट निवासी मोतीपुरा पंचायत भोजपुर तहसील शाहपुरा
12– शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा बिजयनगर जिला अजमेर

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 19.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1206 रकबा 0.58 है0, 1213 रकबा 0.58 है0, 1214 रकबा 0.46 है0, 1215 रकबा 0.01 है0, 1216 रकबा 0.61 है0, 1217 रकबा 0.89 है0, 1218 रकबा 0.23 है0, 1184 रकबा 0.71 है0, 1261 रकबा 0.25 है0, 1264 रकबा 0.16 है0, 1196 रकबा 0.01 है0, 1197 रकबा 0.78 है0, 1198 रकबा 0.98 है0, 1205 रकबा 0.29 है0, 1207 रकबा 0.25 है0,** कुल किता **15** रकबा **6.79** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 9, 11** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 4, 10, 12** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर संवत** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मुण्डेता** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **15 रकबा 6.79 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा